ISSN 2348-3857

स्वाधीनता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा महात्मा गाँधी का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण: पर्दे से राजनीति तक

रंजना माहेश्वरी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, टोंक (राजस्थान)

शोध सारांश

लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल ही राजनीतिक चेतना के केन्द्र होते हैं और प्रत्येक राजनीतिक दल का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति के लिए अन्य दलों, समूहों, संगठनों व जनता पर प्रभावी होना होता है। महिलाओं की राजनीतिक क्रियाशीलता एवं उनके द्वारा सत्ता के उपभोग के संदर्भ में देश के स्वस्थ समाजवादी व औद्योगिक रूप से सुदृढ़ राष्ट्र की स्थापना का लक्ष्य रखने वाले राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महिलाओं को उनके पारम्परिक स्थितियों से बाहर आकर सामाजिक गतिविधियों में शरीक कर उन्हें जागरुक, सशक्त और आत्मविश्वासी बनाने में बहुमूल्य योगदान दिया तथा समकालीन भारतीय महापुरुष महात्मा गाँधी के प्रयास भी अविस्मरणीय रहें। उन्होंने स्वीकार किया कि, 'इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम आधे अंग को निर्जीव बना रहने देंगे तो न हम अपनी रक्षा कर सकेंगे और न ही अन्य राष्ट्रों के साथ अच्छी होड़ कर सकेंगे। जिनमें कुछ इस प्रकार हैं 1921 में यंग इंडिया में गाँधीजी ने लिखा, 'पुरुषों द्वारा स्वनिर्मित सम्पूर्ण बुराईयों में सबसे घृणित, वीभत्स व विकृत बुराई है, उसके द्वारा मानवता के आधे हिस्से को उसके न्यायसंगत अधिकार से वंचित करना।'

स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक मात्र लक्ष्य था वैधानिक व शांतिपूर्ण साधनों से भारतीय जनता द्वारा स्वाधीनता प्राप्ति।[1] स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व उन्नीसवीं सदी के समाज-सुधारक महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कर रहे थे। उनमें शिक्षा का प्रसार प्रारम्भ हो गया था। यह बात दीगर है कि उन्नीसवीं शताब्दी के अधिकांश समाज सुधारकों ने नारी की स्थिति में सुधार लाने का जो आन्दोलन चलाया, वह दरअसल अधूरा ही रहा। प्रारम्भिक समाज सुधारकों ने परिवार और घरेलू ढ़ांचे में महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने का लक्ष्य ही सामने रखा फिर भी उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता।[2] बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक महिलाएं भी जागरुक होकर सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में शरीक होने लगी थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वार उसकी स्थापना के समय (1885) से ही सभी के लिए खोल दिए गये थे। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ही महिलाएं सुधार आन्दोलन के साथ-साथ स्वाधीनता संघर्ष में भी शरीक होने लगी थीं। सन् 1905 के बंग-भंग आन्दोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था, किन्तु उनकी भागीदारी पुरुषों की तुलना में नगण्य थीं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यद्यपि राजनीतिक संगठन था, फिर भी इसने महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने में प्रारम्भ से ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सन् 1906 में भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता पर एक प्रस्ताव पारित किया गया।[3] वर्ष 1911 में ब्रिटेन में स्त्री मताधिकार का प्रश्न 'सफरेजेट मूवमेंट' के द्वारा बड़े पैमाने पर उठाया गया। स्वाभाविक था कि भारत की महिलाओं में भी मताधिकार प्राप्ति, महिला मुक्ति के एक मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किये जाने का भाव पैदा हुआ। सन् 1917 में कुछ महिला संस्थाओं जैसे सेवा सदन, महिला सेवा समाज, इंडियन वीमेन्स युनिवर्सिटी होम लीग की महिला शाखा, वीमेन्स इंडियन एसोसियेशन इत्यादि से श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में चौदह महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल स्त्रियों को मताधिकार व बेहतर शैक्षिक सुविधाएं प्रदान किये जाने के संबंध में मि. मान्टेक्यू व चेम्सफोर्ड से मिला। इसके साथ ही कांग्रेस द्वारा वर्ष 1918 में दिल्ली में श्री हसन ईमाम के सभापतित्व में आयोजित विशेष अधिवेशन में 'स्त्री मताधिकार' के संबंध में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव संख्या-9 में उल्लेख किया गया है कि कांग्रेस इस बात पर जोर

देती है कि सुधार योजना में (मताधिकार के संबंध में) पुरुषों के लिए जो योग्यताएँ रखी गई हैं वही योग्यताएं रखने वाली स्त्रियाँ (केवल) स्त्री होने के कारण अयोग्य न ठहराई जाएं।[4]

इस प्रकार कांग्रेस के नेतृत्व में महिलाओं के मताधिकार एवं प्रतिनिधित्व संबंधी प्रश्न ब्रिटिश शासन के समक्ष बड़ी मुश्तैदी के साथ रखे गये, किन्तु सन् 1919 के संवैधानिक सुधारों में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि विदेशियों ने इस कोमल विषय पर निर्णय करना उपयुक्त नहीं समझा। इसका निर्णय नई, सुधरी हुई परिषदों के लिए छोड़ दिया गया।[5] सन् 1920 में यद्यपि स्त्रियों को मताधिकार के लिए अयोग्य ठहराया गया, किन्तु साथ ही साथ प्रान्तीय विधान मंडलों को यह विशेषाधिकार दिया गया कि वह विशेष प्रस्ताव द्वारा स्त्रियों को मताधिकार प्रदान कर सकते थें।[6] अन्ततः सन् 1921 में सुधार अधिनियम के अधीन भारतीय जनसंख्या के एक बहुत छोटे से भाग को जिसमें स्त्रियां भी शामिल थीं, व्यस्क मताधिकार प्रदान किया गया। उक्त मताधिकार के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई थी, जैसे वे ही महिलाएं वोट दे सकती थीं जिनके पास कुछ सम्पत्ति थी तथा शिक्षित भी थीं। स्त्रियों के मताधिकार को उनके वैवाहिक स्तर से जोडने के अतिरिक्त शर्तों ने इस अधिकार को एक नगण्य संख्या तक ही सीमित रखा। मद्रास वह पहला प्रांत था जिसने 1 अप्रेल 1921 को स्त्रियों को भी मताधिकार देने की घोषणा की, जिसका अनुसरण बाद में अन्य प्रांतों ने भी किया।[7]

बीसवीं शताब्दी के द्वितीय शतक में भारतीय राजनीति में महात्मा गाँधी के प्रवेश के बाद महात्मा गांधी के आह्वान पर 1919 में उन्हीं के नेतृत्व में संचालित सत्याग्रह आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी थी। अभी तक कांग्रेस द्वारा महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संगठित करने का राजनीतिक प्रयास नहीं किया गया था, किन्तु महात्मा गाँधी यह महसूस कर चुके थे कि भारत की आजादी के संघर्ष में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत अनिवार्य है। उन्हें शरीक किये बिना हम आजादी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए महात्मा गाँधी ने रचनात्मक कार्यक्रम की घोषणा की, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन् 1921 में अपनी नीति के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया।[8]

महात्मा गाँधी ने 'यंग इंडिया' में महिलाओं को रचनात्मक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आह्वान किया और कहा, '*न सिर्फ खादी को काम में लेना ही स्वदेशी के कार्यक्रम की सफलता के लिए जरूरी है बल्कि तुममें से हरेक के लिए फुर्सत के समय सूत कातना भी अनिवार्य है। अगर भारत की सभी सम्पन्न नारियाँ रोज कुछ न कुछ सूत कातने लगे तो सूत सस्ता हो जाएगा।*'[9] उन्होंने स्वीकार किया कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम आधे अंग को निर्जीव बना रहने देंगे तो न हम अपनी रक्षा कर सकेंगे और न ही राष्ट्रों के साथ अच्छी होड़ कर सकेंगे।[10] उन्होंने स्वीकारा कि स्त्री त्याग की मूर्ति है जब वह कोई काम शुद्ध भावना से करती है तो पहाड़ों को हिला देती है। हमने अपनी स्त्रियों का सही उपयोग नहीं किया हैं। शायद हमने उनकी उपेक्षा की है, लेकिन ईश्वर की कृपा से चरखा उनकी काया पलट कर रहा है और जब सारे नेताओं और दूसरे लोगों को, जिन पर सरकार की मेहरबानी है, कैद की सजा का सम्मान मिल चुकेगा, उस समय मुझे विश्वास है कि भारत की स्त्रियां पुरुषों का छोड़ा हुआ काम पूरा करेंगी और पुरुषों से कहीं ज्यादा खूबसूरती से करेंगी।[11]

राजेन्द्र प्रसाद ने अपने 'रचनात्मक कार्यक्रम' सम्बन्धी प्रपत्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष प्रस्तावों का सुझाव दिया जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को स्त्री शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, नर्सिंग व चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने, देश के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन में समान अवसर उपलब्ध कराने, पर्दा, बहुविवाह, बाल विवाह, जो कि कानून बन जाने के बावजूद भी समाज में प्रचलित थे, का विरोध करने का उल्लेख किया।[12]

इस प्रकार गाँधीजी के नेतृत्व में स्वाधीनता आन्दोलन में हजारों की संख्या में महिलाएं शरीक होने लगीं। उनकी राजनीतिक भागीदारी के साथ-साथ कांग्रेस ने उनकी स्थिति में सुधार के प्रयास भी किये। वर्ष 1928 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि, '*स्त्रियों के लिए जो रुकावट है, उन्हें दूर करने का यत्न किया जाएगा और राष्ट्र निर्माण में उचित भाग लेने के लिए वे निमंत्रित और उत्साहित की जाएगी।*'[13] ब्रिटिश सरकार ने यद्यपि सन् 1921 के सुधार अधिनियम के तहत महिलाओं को सीमित मताधिकार प्रदान किया था, किन्तु भारतीय इससे संतुष्ट नहीं थे। अतः सन् 1931 में महिलाओं के प्रतिनिधि संगठनों के सम्मेलन में एक ज्ञापन तैयार किया गया, जिसमें लिंग भेद के बिना व्यस्क मताधिकार को अविलम्ब स्वीकार किये जाने की माँग की गई, किन्तु सरकार ने इसे नामंजूर कर दिया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन् 1931 में 29 से 31 मार्च तक आयोजित अपने करांची अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए बधाई देते हुए जो ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था वह भारतीय महिलाओं के अधिकारों का चार्टर ही कहा जा सकता है। करांची कांग्रेस के प्रस्ताव संख्या-6 में उल्लेख किया गया है कि कांग्रेस विशेषकर भारत की स्त्रियों को धन्यवाद देती हैं जिन्होंने हजारों की संख्या में समय निकालकर राष्ट्र को स्वतन्त्रता प्राप्ति के उद्योग में सहायता की। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस ऐसा कोई शासन विधान स्वीकार न करेगी जिसमें मताधिकार के सम्बंध में स्त्रियों और पुरुषों में भेद किया गया हो।[14] नागरिकों के मौलिक अधिकारों और आर्थिक व्यवस्था से सम्बंधित पन्द्रहवें प्रस्ताव में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि 'समस्त नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों में समानता, जिसमें स्त्री या पुरुष होने के कारण कोई अन्तर न हो, सरकारी नौकरियों के मिलने, अधिकार या सम्मान का पद प्राप्त करने और किसी भी प्रकार का व्यापार या कामकाज करने के सम्बंध में किसी नागरिक पर उसके धर्म, जाति, विश्वास और स्त्री या पुरुष होने के कारण किसी रुकावट का न होना। समस्त महिलाओं को मत देने का अधिकार, नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा, स्त्री मजदूरों की रक्षा, खासकर प्रसव के अवसर पर उन्हें अवकाश मिलने की पर्याप्त व्यवस्था।'[15]

सन् 1931 में करांची कांग्रेस, 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति, 1917 की रूसी क्रांति तथा कांग्रेस के अन्दर ही वाम पंथी समूह से अत्यधिक प्रभावित हुई थी। इसी करांची कांग्रेस का मूलाधिकार व आर्थिक कार्यक्रम सम्बंधी प्रस्ताव स्वाधीन भारतीय संविधान के अर्न्तगत सन्निहित मौलिक अधिकारों का मूलाधार बना। इसमें भारतीय राजनीति में स्त्रियों की समानता का उदार लक्ष्य रखा गया। उसका कार्यानव्यन कितना हुआ यह बात दीगर है किन्तु उसकी आधारशिला सन् 1931 की करांची कांग्रेस में ही रखी जा चुकी थीं। करांची कांग्रेस के फलस्वरूप ही ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा मताधिकार प्राप्त भारतीयों की संख्या में वृद्धि की तथा कतिपय पिछली योग्यताओं के सम्बंध में कुछ छूट भी दी। 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी स्त्रियां यदि वे सम्पत्ति तथा शिक्षा संबंधी शर्तों को पूरा करती हों तो मतदान कर सकती थीं।[16]

इसी दौरान महात्मा गाँधी ने अपने अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी समिति में कम से कम एक महिला को सम्मिलित करने की परम्परा भी डाली।[17] जिस पर कई वर्षों तक सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय व मृदुला साराभाई आसीन भी रहीं।[18] सन् 1937 में कांग्रेस में फैजपुर में आयोजित महाधिवेशन में पुन: एक प्रस्ताव में सार्वजनिक नौकरी के क्षेत्र में लिंग के आधार पर भेदभाव न बरतने एवं महिलाओं को भी व्यस्क मताधिकार प्राप्त होने की सिफारिश की।[19] वर्ष 1940 में कांग्रेस की सुप्रसिद्ध महिला राजनीतिक नेताओं, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, अरूणा गांगुली (अरूणा आसफ अली), मृदुला साराभाई एवं सुचेता कृपलानी ने कांग्रेस के तहत ही महिलाओं के लिए पृथक विभाग की आवश्यकता पर बल दिया। फलस्वरूप कांग्रेस ने इसी वर्ष महिलाओं के लिए पृथक विभाग की स्थापना की स्वीकृति दी। ताकि महिलाओं को भली प्रकार से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों के प्रति जागरुक एवं संगठित किया जा सके।[20]

इस प्रकार स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख लक्ष्य भारत को आजाद कराना था और इसी लक्ष्य की पूर्ति में महिलाएं भी बराबर की भागीदार बन सके, इसके लिए कांग्रेस ने भरसक महिलाओं को जागरुक करने का प्रयास किया, ताकि वे घरों के संकीर्ण दायरे से बाहर निकलें और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को भली प्रकार से समझे और देश की आजादी की लड़ाई में अपना सक्रिय सहयोग दें। फलस्वरूप स्वाधीनता आंदोलन में महिलाएँ शरीक भी हुई। स्वाधीनता आन्दोलन में भारतीय महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की वजह मुख्यत: दो विशेषताएं थीं - पहली यह कि स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान पुरुष नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से यह समझ लिया था कि भारतीय नारी जो आबादी की अर्धशक्ति है, जिसे दु:ख तकलीफ सहने की आदत है, उसे इस संघर्ष से कैसे पृथक रखा जा सकता है और दूसरी यह कि स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने तथा स्त्री समानाधिकार हेतु पहल करने वाले गाँधी, नेहरू तो थे ही, वे स्वयं भी स्वाधीनता संघर्ष से प्रेरित हो विविध महिला संस्थाओं के माध्यम से एवं व्यक्तिगत रूप से भी आजादी की लड़ाई में शरीक हुईं तथा अपनी योग्यता एवं क्षमता का प्रदर्शन भी किया। सम्भवत: स्वाधीनता आन्दोलन में उनके समग्र योगदान का परिणाम ही था कि स्वाधीन भारत के संविधान में महिलाओं को समानाधिकार संबंधी पुरस्कार प्राप्त हुआ।

गाँधीजी एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसकी नींव न्याय, समानता व शांति पर आधारित हो। इस

महती उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह परमाश्यक था कि समाज के आधारभूत अंगों - पुरुष व स्त्री - के बीच समानता के सभी तत्व सुनिश्चित व सुनिर्धारित हों। देश के समन्वित व शांति पूर्ण विकास के लिए यह लैगिंक समानता पूर्व निर्धारित शर्ते हैं। गाँधीजी ने कहा कि 'नारी ईश्वरी की सर्वोत्कृष्ट कृति है, वह अहिंसा की अवतार है तथा अपने धार्मिक आग्रहों के परिपेक्ष्य में वह पुरुष जाति से कोसों आगे है। गाँधीजी पर जिन स्त्रियों का ज्यादा प्रभाव रहा उनमें उनकी माँ व बहन का पहला स्थान है। गाँधीजी ने अपनी रचनाओं व उद्धरणों में अपनी माँ का सर्वाधिक जिक्र किया है। सत्याग्रह का पहला अध्याय उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा।[21]

बारबरा साउथवर्ड के अनुसार गाँधीजी की नारीवादी सोच में दो तत्वों की सर्वाधिक भूमिका है। पहला हर स्तर पर तथा हर मायने में स्त्री-पुरुष समानता और दूसरा दोनों के विशिष्ट लैगिंक भिन्नता के मद्देनजर उनके सामाजिक दायित्वों में भिन्नता।[22] गाँधीजी ने एक बार कहा, 'पुरुषों के पारिवारिक देखभाल की जिम्मेदारी निभानी तथा स्त्रियों को घरेलू प्रबंधन में अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। और इस तरह दोनों को एक दूसरे के पूरक की भूमिका निभानी चाहिए। गाँधीवाद के लैंगिक संबंधी दर्शन में इस बात को रेखांकित किया गया है कि चूंकि पुरुष व स्त्री की सामाजिक अपेक्षाओं में विशिष्टगत भिन्नता परिलक्षित होती है सो उनकी सार्वजनिक व निजी भूमिकाओं में भी भिन्नता की मौजूदगी एक सहज स्वाभाविक चीज है। उन्होंने हिन्दू शास्त्रों का उदाहरण देते हुए इस बात पर बल दिया कि यदि प्रत्येक चीज की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है तो फिर पुरुष व स्त्री के बीच में भिन्नता कहां है। उन्होंने इस बात का रेखांकित किया कि लिंग के बजाय वैयक्तिक आत्मा की भूमिका अधिक प्रबल होती है। धर्मग्रन्थों पर टिप्पणी करते हुए गाँधीजी ने कहा कि स्मृतियों में लिखी सारी चीज दैव वाणी नहीं है तथा उनमें त्रुटियों का होना सहज संभव है।[23] यदि धर्म व धर्मशास्त्र अनैतिक चीजों को हमारे सामने परोसते या थोपने की कोशिश करते हैं तो हमें उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। गाँधीजी ने कहा, 'हिन्दुत्व प्रत्येक प्राणी को इस बात के लिए खुली छूट प्रदान करता है कि वह अपने आत्मानुभूति की उपलब्धि के लिए अपना मार्ग खुद तय करें।'[24] गाँधीजी का विचार था कि स्त्रियों की शोचनीय दशा ऐतिहासिक परिस्थितियों की वजह से हुई है अन्यथा दोनों में एक ही आत्मा का वास है और दोनों मूलत: एक हैं। प्रत्येक की भूमिका एक दूसरे के पूरक के रूप में होती है लेकिन परिस्थितिजन्य स्त्रियों पर पुरुषों ने अधिपत्य रखा परिणामस्वरूप स्त्रियों की मनोदशा हीनभावना से ग्रस्त हो गई और वह उसके (पुरुषों) की श्रेष्ठता को ही सत्य मानने लगीं। लेकिन ऋषियों, संतों ने स्त्रियों की समान भूमिका को पहचाना व पुरुष की भांति स्त्री भी आजादी, समानता व स्वतंत्रता की समान हकदार है।[25] महिलाओं के प्रति असमानता व अन्याय का बोध करते हुए गांधीजी ने इस बात को दृढ़ता से कहा, 'यदि मैं स्त्री के रूप में पैदा होता तो मैं पुरुषों द्वारा थोपे गए किसी भी अन्याय का जमकर विरोध करता।'[26]

जहाँ तक पुरुष व स्त्री के कार्यगत क्षेत्रों का सवाल है तो गाँधीजी कार्यगत विशिष्टता में विश्वास करते थे। एक ओर पुरुष का कार्य है कि वह परिवार के लिए रोटी का अर्जन करे वहीं स्त्रियों का दायित्व है कि वह घर व बच्चों के पालन पोषण में अपनी श्रेष्ठतम भूमिका अदा करे। गांधीजी के दृष्टिकोण में स्त्रियों की भूमिका एक पालनकर्ता की थी तथा उनका मानना था, 'महिलाएं मुख्य रूप से घर की गृहिणी ही होती है, वह रोटी रखने व बाँटने वाली होती हैं। बच्चों की उत्तम परवरिश महिलाओं की मुख्य व एकाधिकारपूर्ण जिम्मेदारी होती है। बिना उसके लालन-पालन के मानवता का अस्तित्व कदापि संभव नहीं है।' उन्होंने विवाह को महिलाओं के लिए अवश्यंभावी चीज मानने से इंकार कर दिया।

अंतत: सारांश में हम यह कह सकते हैं कि महात्मा गाँधी के महिला उत्थान के अथक प्रयासों ने महिला स्थिति सुधार में अमूल्य योगदान दिया साथ ही तत्कालीन राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयास भी अत्यन्त प्रशंसनीय रहे। वर्तमान में आवश्यकता है उन सभी प्रयासों को अनवरत रख महिला स्थिति को सशक्त किया जाए।

सन्दर्भ सूची

1. जैदी, एम. (सम्पादित), एन्साइक्लोपीडिया ऑफ इण्डियन नेशनल कांग्रेस, वो. 8, पृ. 628
2. 'समता की ओर', पृ. 628
3. कन्हैया लाल (सम्पादक) 'कांग्रेस के प्रस्ताव', पृ. 221, 1931, नवयुग प्रकाशन मंदिर, विद्यापीढ़ रोड़, बनारस छावनी
4. वहीं, पृ. 384
5. सिंहगुरुमुख निहाल, 'भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास', आत्माराम एंड संस, दिल्ली
6. वहीं, पृ. 304

7. कौर, मनमोहन, वूमन इन इण्डियन फ्रीडम स्ट्रगल, 1999 पृ. 138
8. कन्हैया लाल (सम्पादक) 'कांग्रेस के प्रस्ताव', पृ. 409-413, 1931, नवयुग प्रकाशन मंदिर, विद्यापीढ़ रोड़, बनारस छावनी
9. यंग इण्डिया, 11 अगस्त 1921
10. वहीं, 28 जून 1935
11. वहीं, 22 दिसम्बर 1921
12. प्रसाद, राजेन्द्र, कंसट्रक्टिव प्रोग्राम, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, 1924, पृ. 21
13. कन्हैया लाल (सम्पादक), कांग्रेस के प्रस्ताव, 1885-1924, पृ. 489-901
14. वहीं, पृ. 504
15. वहीं, पृ. 570
16. अग्रवाल, डी. रामा नन्द, नेशनल मूवमेंट एण्ड कान्सटीट्यूशनल डवलपमेंट ऑफ इंडिया, मैट्रोपोलिटन बुक्स, दिल्ली, 1965, पृ. 109-110
17. फाइल नं. 11/डी.एच./एच.डी.वाई.सी. ऑफिस, बॉम्बे, लैटर रिटर्न बाई महात्मा गाँधी टू जवाहर लाल नेहरू ऑन 29 मई, 1936, कोटेड बाई एजन्यू विजय, एलिट वूमन इन इण्डियन पॉलिटिक्स, पृ. 25
18. मृदुला साराभाई इन्टरव्यू कोटेड बाई एजन्यू वी. एलीट, वूमन इन इण्डियन पॉलिटिक्स, पृ. 86
19. डॉ. पट्टाभि, सीतारमैया, कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास, पृ. 216
20. ए.आई.सी.सी. पेपर, फाइल नं. 50, कोटेड बाई एजन्यू, विजय, एलीट वूमन इन इण्डियन पॉलिटिक्स, पृ. 83; जैदी ए.एम. (सम्पादित), एन्साइक्लोपीडिया ऑफ इण्डियन नेशनल कांग्रेस, पृ. 422, वो. 12
21. दत्तडी. एम., महात्मा गांधी का दर्शन, पटना, 1985, पृ. 58, 36
22. साउथवर्ड, बारबरा, फेमिनीज्म ऑफ महात्मा गांधी, गांधी मार्ग वाल्यूम-13, 1981, पृ. 403
23. 'वूमेन इन स्मृतिज', हरिजन, 28 नवम्बर 1936
24. 'दी हिन्दू वाइफ, यंग इंडिया, 3 अक्टूबर 1929
25. 'व्हाट इन वूमेन्स रोल ?', हरिजन 24 फरवरी, 1940
26. यंग इंडिया, 9 दिसम्बर 1927